राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पूरणमल बनाम हरिप्रसाद 262/2011 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/11/2025 को पेश हो।	
25/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 12 ने राजस्थान सरकार के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इश्तकरारहक़ अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1788 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा मण्ढा जिसके हाल खसरा 2639/0.55, 2640/0.39, 2641/0.36, 2642/0.84, 2643/0.40, 2645/0.30 वाके मौजा मण्ढा प्रार्थीगण संख्या 1 की दादी तथा प्रार्थीगण 2 व 3 की पडदादी जमना देवी पत्नी देवाराम जाति रैगर निवासी मण्ढा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने से पूर्व से कब्जा काश्त के आधार पर दफा-19 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 30/05/1961 को तस्दीक करते हुये प्रार्थीगण के बुजुर्ग जमना पत्नी देवाराम का नाम जमना पुत्र छाजू रैगर दर्ज कर दिया। तब से प्रार्थीगण के बुजुर्ग जमना देवी रिकार्ड खातेदार काश्तकार थी तथा विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 1788 को शान्तिपूर्वक लाट-बाट करती है। छाजूराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 3 विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियो की गलती की वजह से जमना देवी पत्नी देवाराम रैगर की जगह जमना पुत्र छाजू रैगर लिख रखा है। जबकि छाजू जमना देवी का लड़का है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार कोटपुतली से प्रार्थना की थी कि उपरोक्त गलत अंकन को दुरुस्त फरमाया जावे व जमना पुत्र छाजू रैगर का नाम हटा देवे व विवादित भूमि में प्रार्थीगण का नाम दर्ज कर देवे लेकिन कोई दुरुस्ती नही की। अत: निवेदन है कि उक्त दुरुस्त करने के आदेश फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी राजस्थान सरकार की और से पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बगैर ही दोनों पक्षों की बहस समायत करते हुए वादीगण/रेस्पो. का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 2639/0.55, 2640/0.39, 2641/0.36, 2642/0.84, 2643/0.40, 2645/0.30 वाके मौजा मण्ढा तहसील कोटपुतली के राजस्व रिकार्ड में जमना पुत्र छाजू के स्थान पर वादीगण/रेस्पो. को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	पूरणमल बनाम हरिप्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वास्ते चाहने इजाजत अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये विवादग्रस्त आराजीयात का सहवन से जमना देवी पत्नी देवाराम व छाजूराम पुत्र देवाराम के स्थान पर जमना पुत्र छाजू दर्ज हो जाना धारित कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ के अनुरूप जाहिर नही होता है | इस सन्दर्भ में अपीलार्थी का कथन है कि वह विवादग्रस्त भूमि के वास्तविक खातेदार कृषक है तथा अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा वर्ष 2008 में प्रस्तुत कर देने के तथ्य जाहिर किये गये है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का विवादग्रस्त भूमि से हितबद्ध होना प्रकट होता है एवम ऐसेमें अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बगैर ही सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अपीलार्थी द्वारा उद्धरित तथ्यों से सन्तुष्ट होकर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/12/2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर